

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 1982/चैत्र 25, 1904
No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 1982/CHAITRA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1982

आ. अ. 30(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की
उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह
निवेश देता है कि इसकी तारीख 18 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/
महा./79 (2) में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से सम्बद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में, मद 10. “10-ठाणे
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर—” के सामने, 2,
3 और —5 सांख्याकित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर,
निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

- “2. विशेष भूमि अर्जन आफिसर,
दिवा-बससैन रोड/रेल लिंक परियोजना-2
थाणे ।
3. विशेष भूमि अर्जन आफिसर,
महाराष्ट्र जलपूर्ति और मल-व्यवस्था परियोजना,
थाणे ।
4. विशेष भूमि अर्जन आफिसर,
मेट्रो सेंटर (2),
थाणे ।”
थाणे ।
रखी जायेंगी ।

[सं. 434/महा./82 (2)]

आदेश से,

धर्मवीर, जवर सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 1982

O.N. 30(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendments shall be made in its notification No. 434/MT/79(2), dated the 18th October, 1979, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification against item 10. 'Returning Officer for 10-Thane parliamentary constituency', for the existing entries numbered 2, 3 and 5, the following entries shall be substituted :

- “2. Special Land Acquisition Officer, Diwa-Bassein Road/Rail Link Project-II, Thane.
3. Special Land Acquisition Officer, Maharashtra Water Supply and Sewerage Project, Thane.
4. Special Land Acquisition Officer, Metro Centre (II), Thane.”

[No. 434/MT/82(2)]

By Order

DHARAM VIR, Under Secy.
Election Commission of India.